

प्रवाल शैल-श्रेणियाँ (Coral reefs)

प्रवाल शैल-श्रेणियाँ (Coral reefs) क्या हैं



समुद्र के भीतर स्थित चट्टान हैं जो प्रवालियों द्वारा छोड़े गए कैल्सियम कार्बोनेट से निर्मित होती हैं

वस्तुतः ये छोटे जीवों की बस्तियाँ होती हैं

साधारणतः उष्ण एवं उथले सागरों, विशेषकर प्रशांत महासागर में, अनेक उष्ण अथवा उपोष्णदेशीय द्वीपों के सामीप्य में बहुतायत से पाई जाती है

कोरल के लिए 30 डिग्री उत्तर तथा 25 डिग्री दक्षिण अक्षांश के समुद्री क्षेत्र उपयुक्त होते हैं, इन क्षेत्रों में कोरल के लिए आदर्श तापमान 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए

प्रवाल-शैल-श्रेणियाँ लगभग पाँच लाख वर्ग मील में फैली हुई हैं

पॉलिप समुद्र जल से घुले हुए कैल्सियम को लेकर कैल्सियम कार्बोनेट का स्रावण करते हैं। इन पॉलिपों के द्वारा ही प्रवाल का निर्माण होता है

भारत में प्रवाल शैल मुख्यतः मन्नार की खाड़ी, अंडमान एवं निकोबार, कच्छ की खाड़ी, लक्षदीप आदि के समुद्री तटों पर मिलती है

ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड तट पर 2,300 किलोमीटर में फैला ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ सिस्टम है, जो खुद में 2,900 चट्टानों और 940 आइलैंड को समेटे हुए है

ग्रेट बैरियर रीफ को यूनेस्को ने 1981 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया

इनका महत्व

पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण

सागरों में पाए जाने वाले अत्यंत विविध और उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र

Food chain में बहुमूल्य भूमिका

सागरीय विविधता को बनाए रखने में बड़ा योगदान

ग्रेट बैरियर रीफमछलियों की 1,500 प्रजातियों, 411 तरह के सख्त मूंगे और 134 तरह की प्रजाति की शार्क और रेज (खास तरह की मछली) का घर है

ये दुनिया में समुद्री कछुए की सात ऐसी प्रजातियों और 30 तरह के समुद्री स्तनधारी जीवों का भी घर है, जो विलुप्त होने के कगार पर हैं

यहां 630 प्रजाति की शूलचर्मों जैसे स्टारफिश और समुद्री अर्चिन पाए जाते हैं। चिड़ियों की 215 प्रजातियां, हजारों किस्म के स्पंज, कीड़े और क्रसटेशियन के साथ ही यहां सी-बर्ड भी पाए जाते हैं

आर्थिक महत्व

ग्रेट बैरियर रीफ पर्यटन और मछली उद्योग ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था में 33, 177 करोड़ रुपए (54 अरब डॉलर) का सालाना का योगदान देता है

पुराने प्रवलों का उपयोग आभूषणों के निर्माण में होता है इसका core बहुत कठोर होता है

प्रवाल शैल-श्रेणियाँ (Coral reefs) पर संकट

महासागरों के जल का बढ़ता तापमान

केवल चार सप्ताह के लिए केवल एक ही डिग्री सेल्सियस की तापमान वृद्धि विरंजन घटनाओं को गति प्रदान कर सकती है

यदि यह तापमान लंबी अवधि तक जारी रहता है (आठ या अधिक सप्ताह) तो प्रवाल का मरना शुरू हो जाता है

सभी विरंजन घटनाएं गर्म पानी के कारण नहीं होती हैं

जनवरी 2010 में, फ्लोरिडा में ठंडे पानी का तापमान, प्रवाल विरंजन की घटना मुख्य कारण रहा था जिसके कारण कुछ प्रवाल की मौत हो गयी थी

महासागरों में बढ़ती अम्लीयता

पर्यटन, नौवहन, विद्युत उत्पादन, अनुसंधान इत्यादि के लिए किए गए छेड़-छाड़

कई प्रकार के प्रदूषक, जो सीधे महासागरों में मुक्त किए जाते हैं

नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की बढ़ती मात्रा

ताजे पानी का सैलाब (कम लवणता)

सौर विकिरण में वृद्धि होना

परबैंगनी किरणें

प्रवाल विरंजन

प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रवाल पर परिवर्तित होने का दवाब पड़ता है

वे अपने ऊतकों में रहने वाले सहजीवी शैवालों (zooxanthellae) को त्याग देती हैं

वे पूरी तरह से प्रवाल विरंजित (पूरी तरह सफेद) हो जाते हैं

प्रवाल के विकास और प्रजनन में कमी तथा बीमारी की संवेदनशीलता में वृद्धि की संभावना रहती है

यदि दवाब बना रहता है तो प्रक्षालित प्रवाल मर जाते हैं

कोरल रीफ संरक्षण पर स्थिति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मलेन

आयोजन लक्षद्वीप के बंगाराम द्वीप पर किया गया, 22 से 24 अक्टूबर, 2018 के दौरान

सम्मेलन की थीम "रीफ फॉर लाइफ" थी

अंतर्राष्ट्रीय रीफ वर्ष

अंतर्राष्ट्रीय कोरल रीफ पहल ने 2018 को अंतर्राष्ट्रीय कोरल रीफ वर्ष घोषित किया

National Green Tribunal

NGT

राष्ट्रीय हरित अधिकरण.

(एक न्यायिक अधिकरण)

अधिकरण } विधायिका के द्वारा स्थापित किया जाता है (एक अधिनियम बना कर)

सरकार के द्वारा स्थापित एक निकाय जिसे किसी उद्देश्य विशेष के लिए विशिष्ट अधिकार प्रदान किए गये हैं.

प्रशासनिक (प्राधिकरण)

- प्रशासनिक अधिकार प्राप्त

न्यायिक (न्यायाधिकरण)

- कुछ विशिष्ट अधिनियमों को ले कर न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त →
 - e.g.
 - Central Administrative Tribunal
 - National Green Tribunal

• एक सांविधिक
न्यायाधिकरण

• इस तरह के
न्यायाधिकरण
स्थापित करने
वाला तीसरा देश

1) न्यूजीलैंड
के बाद
2) ऑस्ट्रेलिया.

NGT
अधिनियम, 2010
के अंतर्गत
स्थापित.
(18.10.2010)

↓
मुख्यालय: नई दिल्ली

+
4 बैंक स्थल

भोपाल
Central
पुणे
West
कोलकाता
East
चेन्नई
South

↓
Bench: कोच्ची में भी

उद्देश्य

• पर्यावरण संबंधित
मामलों का तेज
निपटारा

• सामान्य न्यायालयों में
मुकदमों की बीझ
कम करना
• विशेषज्ञता के
साथ मामलों पर
निर्णय

Jurisdiction (न्यायाधिकार) - I

1. जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974
2. जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977
3. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
4. वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981
5. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
6. सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम, 1991
7. जैविक विविधता अधिनियम, 2002

उपरोक्त 7 अधिनियमों से जुड़े सिविल मामलों पर यहाँ सुनवाई हो सकती है और निर्णय लिया जा सकता है।

न्यायाधिकार (उपरोक्त 7 अधिनियमों के संदर्भ में)
-II

मौलिक
(original)
नए दायर किये गये
मामलों पर सुनवाई

अपीलीय क्षेत्राधिकार
(Appellate)
किसी अवर कोर्ट के निर्णय
को चुनौती दी जा सकती है।

Note : NGT के निर्णय को Supreme Court में चुनौती दी जा सकती है।

न्यायाधिकार - III

सीमाएं

1. दो महत्वपूर्ण अधिनियमों को ले कर न्यायाधिकार उपलब्ध नहीं :

A. भारतीय वन अधिनियम, 1927

B. वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972

2. केवल सिविल मामलों पर सुनवाई

↳ आपराधिक मामलों पर संज्ञान नहीं लिया जा सकता.

न्यायिक प्रक्रिया की विशेषताएं

① ट्रिब्यूनल सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं होगा, लेकिन

② प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होगा.

एक वकील की सेवा लेना आवश्यक नहीं है. पीड़ित पक्ष आवश्यक प्रारूप में एक आवेदन जमा करके व्यक्तिगत रूप से ट्रिब्यूनल से संपर्क कर सकते हैं.

③ किसी भी मामले का 6 माह के अंदर निपटारा करने का प्रयास .

④ दंड का भी प्रावधान
(गैर-अनुपालन के
अवस्था में)

Ⓐ कारावास (3 वर्ष तक के लिए) Ⓑ अर्थ दंड → 10
करोड़ तक
Ⓒ A + B

संरचना

